


न्यायालय श्रीमान् सदृश महोदय गवालियर राजस्व मण्डल
गवालियर (म0प्र0)

क्रमांक ५१२४
दायरा अंक २५-७/१५
संदर्भ २५-७/१५



(44)

निम्नांक २३६८-II/१५

1. पप्पू तनय स्व0 महादेव साकेत उम्र 40 वर्ष पेशा खेती,
2. मुन्नालाल तनय स्व0 महादेव उम्र 38वर्ष पेशा खेती,
दोनों निवासी ग्राम मौहरिया खुर्द तहसील गोपद बनास जिला—सीधी
(म0प्र0) आवेदकनाम

बनाम

1. लक्ष्मन तनय ददई चमार उम्र 47 वर्ष पेशा खेती,
2. मु0 सोनिया वेवा पत्नी छोटेलाल चमार उम्र 40 वर्ष पेशा खेती,
3. सुनील तनय रव0 छोटेलाल चमार उम्र 14 वर्ष पेशा—विद्याध्ययन,
4. सरस्वती पुत्री स्व0 छोटेलाल उम्र 12 वर्ष पेशा विद्याध्ययन
5. गोलडी पुत्री स्व0 छोटेलाल साकेत उम्र 10 वर्ष, पेशा विद्याध्ययन,
अनावेदक क्रमांक 3 ता 5 नावालिक जारिए बली संरक्षिका माता सोप्रिया
देवा छोटेलाल चमार
6. फुलमन्ती पुत्री ददई चमार उम्र 60 वर्ष पेशा गृहकार्य,
7. लीलावती पुत्री ददई चमार उम्र 60 वर्ष पेशा गृहकार्य,
8. बुटनी पुत्री ददई चमार उम्र 38 वर्ष पेशा गृहकार्य,
9. बिटिया (लल्लू) पुत्री ददई चमार उम्र 40 वर्ष पेशा गृहकार्य,
10. जयमन्ती पुत्री ददई चमार उम्र 55 वर्ष पेशा गृहकार्य,
11. ददुली तनय रामदयाल चमार उम्र 75 वर्ष पेशा खेती,
12. मु0 चौरसिया वेवा महादेव चमार उम्र 80 वर्ष पेशा गृहकार्य,
13. नर्वदा तनय महादेव चमार उम्र 58 वर्ष पेशा खेती,
14. कैलाश तनय महादेव चमार उम्र 48 वर्ष पेशा खेती,
15. फक्कड़ दास साकेत तनय महादेव साकेत उम्र 45 वर्ष पेशा खेती
16. छोटकऊ तनय स्व0 महादेव सकेत उम्र 40 वर्ष पेशा खेती,
सभी निवासी ग्राम मौहरिया खुर्द तहसील गोपद बनास जिला सीधी (म0प्र0)
..... अनावेदकगण

डी. एस. चौहान
एडवोकेट
हाईकोर्ट म.प्र. ग्वा.

पुनरीक्षण विरुद्ध आदेश
न्यायालय तहसीलदार महोदय
गोपद बनास गिर्द— II
के प्र. क्र. ०५ अ २७/२०१२-१३
मे पारित अंतरिम आदेश
दिनांक २५.०४.२०१५ | अंक २२.६.१५
अन्तर्गत धारा ५० म०प्र०
भू-राजस्व संहिता १९५९

गान्धकर

आवेदकगण की ओर से निम्नांकित नुनः रीक्षण प्रस्तुत हैः—

1. यह कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार महोदय गोपद बनास गिर्द—II के समक्ष अनावेदक क्रमांक 1 त 10 के द्वारा ग्राम मौहरिया खुर्द तहसील

मुन्नालाल

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - R- 2368-दी।८

जिला -

सीद्धी

पक्षकारों एवं अभिभाषकों
आदि के हस्ताक्षर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	
१३।८।१९	<p>आवेदक की ओर से यह निगरानी.....(६.८.१८)..... प्रीपड़बुन्डी के प्रकरण क्रमांक५/म-१।।२-।३..... में पारित आदेश दिनांक ५-४।८ के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू- राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत यह प्रकरण सुनवाई हेतु कुलेक्टर सीद्धी को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक....।८।।०।।९....को कुलेक्टर सीद्धी के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;">(महेश चन्द्र चौधरी)</p> <p style="text-align: right;">सदस्य</p> 